Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Commerce
Research Link - 159, Vol - XVI (4), June - 2017, Page No. 114-115
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

देवास जिले के कृषि एवं ग्रामीण विकास में सहकारी बैंकों का योगदान

प्रस्तुत शोधपत्र में देवास जिले के कृषि एवं ग्रामीण विकास में सहकारी बैंकों के योगदान का अध्ययन किया गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की दो-तिहाई जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। अतः देश के विकास के लिए ग्रामीण एवं कृषि विकास आवश्यक है। देवास जिले का कुल क्षेत्रफल 7020 वर्ग कि.मी.है, जो कि प्रदेश के क्षेत्रफल का 2.277 प्रतिशत है। देवास जिला प्रशासकीय दृष्टि से 6 विकासखण्डों तथा 8 तहसीलों में विभक्त है। कृषि विकास के लिए वित्त व्यवस्था आवश्यक है। ऐसे में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है, इनके माध्यम से ही वित्त प्रदान कर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है। देवास जिले में 142 व्यापारिक बैंक, 20 केन्द्रीय सहकारी बैंक व 10 जिला सहकारी कृषि व ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं, जो अपनी विभिन्न कृषि ऋण योजनाओं के माध्यम से वित्त प्रदान करने का कार्य कर रही हैं।

रितेश शर्मा* एवं डॉ.बी.एस.मक्कड़**

प्रस्तावना :

भारतीय अर्थव्यवस्था मुलतः कृषि पर आधारित है, प्राचीनकाल से ही भारत के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि रहा है। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण कृषक ऋणों एवं उनके ब्याज का समय पर भुगतान नहीं कर पाते थे। परिणामस्वरूप कृषकों के ऋण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते ही जाते हैं। प्राचीन समय में कृषक गरीबी एवं ऋण ग्रस्तता के कारण न तो खेती के तरीकों में सुधार कर सकता था, और न ही अपनी आर्थिक उन्नति के बारे में विचार कर पाता था, क्योंकि उस समय गाँवों में साख की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बार–बार साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था और साहूकारों के ब्याज की दर एवं ऋण देने की शर्ते इतनी कठिन होती हैं, कि गरीब कृषक की आय का बड़ा भाग ब्याज एवं ऋण चुकाने में ही चला जाता था। इस कारण कृषक कभी भी ऋण से मुक्त नहीं हो पाता। भारतीय कृषकों की इन आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से सहकारी बैंक को एक और कल्याणकारी संस्था माना जाता है।

सहकारी बैंकों का देश के आर्थिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि इन बैंकों से सम्बन्धित कई समस्याएँ हैं, जिनका समाधान करना आवश्यक है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्वतंत्रता के बाद से ही इनके तीव्र विकास पर विशेष बल दिया है। और यह महसूस किया गया कि ये बैंक कृषि उत्पादन एवं कृषकों की गरीबी एवं असमानताओं को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं में इनके विकास की संस्तुति की।

कृषि व ग्रामीण विकास एवं भारतीय अर्थव्यवस्था :

प्रायः कृषि विकास से तात्पर्य कृषि उत्पादकता वृद्धि से लिया गया है, परन्तु यांत्रिक क्रांति के बाद आज उत्पादकता में होने वाली वृद्धि के अपेक्षाकृत कृषि विकास को अधिक विस्तृत अर्थो में प्रयोग करते हैं। प्रो. मिश्रा के अनुसार कृषि विकास से तात्पर्य कृषि हेतु नई दशाओं का परिवर्धित अनुकूलन एवं उसकी अन्तर्निहित संभावनाओं का पूर्ण विकास है। कृषि विकास की समस्याएँ मात्र वर्तमान उत्पादन हेतु नई तकनीक लाने की ही नहीं, बल्कि इसमें संरचनात्मक आधार में परिवर्तन की भी हैं, जिसमें कृषि के संरचनात्मक आधार में परिवर्तन के लिए बैंकिंग संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आधुनिक प्रौद्योगिक के आधार पर कृषि का विकास करने के उद्देश्य से देश में बड़ी मात्रा में तथा उचित शर्तो पर कृषकों को बैंकिंग संस्थाओं की सुविधा प्रदान की गई। सन् 1951–52 में देष में कुल कृषि ऋण आवश्यकताओं का लगभग 93 प्रतिशत गैर संस्थागत स्त्रोतों से साहूकार महाजन, व्यापारी आदि तथा शेष 7 प्रतिशत बैंकिंग संस्थाओं जैसे सहकारी समितियाँ, व्यवसायिक बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता रहा है, परन्तु वर्तमान में परिस्थितियाँ बदल गई हैं, देश में अब कृषकों को कृषि विकास का महत्व देने के उद्देश्य से अधिकांश ऋण बैंकिंग संस्थाओं से ही प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में गैर–संस्थागत स्त्रोतों का कृषि में अंशदान अब कम हो गया है।

अध्ययन के उद्देश्य :

किसी भी क्षेत्र विशेष की प्रगति उस क्षेत्र में उपलब्ध वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर करती है। बिना वित्तीय सहायता के कृषि की प्रगति संभव नहीं हो सकती है। हमारे देश में कृषि वित्त के लिए ही सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है। प्रस्तुत शोध पत्र का विशेष अध्ययन निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है :

(1) कृषि एवं ग्रामीण विकास के संदर्भ में देवास जिले में सहकारी बैंकों की स्थिति का अध्ययन करना। (2) सहकारी बैंकों द्वारा सदस्य समितियों की साख सम्बधी आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति का अध्ययन करना। (3) सहकारी बैंकों द्वारा अपनाई गई ऋण प्रक्रिया एवं ऋण योजनाओं का अध्ययन करना।

**शोधार्थी (वाणिज्य विभाग), विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (मध्यप्रदेश)*
***प्राचार्य, शासकीय माधव कला, वाणिज्य एवं विधि महाविद्यालय, उज्जैन (मध्यप्रदेश)*

(4) कृषकों को ऋण समय पर प्राप्त होता है या नहीं तथा बैंक द्वारा दिए गए ऋण के उपयोग का मूल्यांकन किया जाता है, या नहीं। (5) इस संबंध में जानकारी प्राप्त करना कि कृषकों को जो ऋण प्रदान किए जाते हैं, उसमें कृषकों के उद्देश्य पूरे होते हैं या नहीं। (6) सहकारी बैंकों का अध्ययन कर उसकी वित्तीय स्थिति तथा ऋण प्रदान करने की क्षमता ज्ञात करना, जिससे यह ज्ञात हो सके कि सहकारी बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने में कहाँ तक सफल रही है। (7) कृषि ऋणों की अदायगी एवं वसूली व्यवस्था का अध्ययन करना। (8) देवास जिले के सहकारी बैंकों एवं हितग्राहियों की विभिन्न समस्याओं एवं कठिनाइयों का अध्ययन करना एवं उनके समाधान हेतु सुझाव।

अध्ययन क्षेत्र :

मेरे शोधपत्र का क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य का देवास जिला है। धार्मिक दृष्टि से देवास एक पवित्र शहर है। माँ चामुण्डा एवं माँ तुलजा भवानी के मन्दिर का भारतवर्ष में अलग ही महत्व है। देवास जिला भौगोलिक दृष्टि से मालवा के पठार के मध्य भाग में स्थित हैं। देवास जिले का कुल क्षेत्रफल 7020 वर्ग कि.मी है, जो कि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 2.277 प्रतिशत है, देवास जिला प्रशासकीय दृष्टि से 6 विकासखण्डों तथा 8 तहसीलों मे विभक्त है। जनसंख्या की दृष्टि से देवास जिले की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 15 लाख 63 हजार 715 है, जिसमें से 4 लाख 51 हजार 795 नगरीय क्षेत्र में तथा 11 लाख 11 हजार 920 ग्रामीण क्षेंत्रो मे निवास करती है। जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 71.11 प्रतिशत है। देवास जिला बैंकिंग सुविधा की दृष्टि से सम्पन्न है। देवास जिले में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एक स्वशासी संस्था है, जो कि म.प्र. सहकारी अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत संस्था है। देवास जिले में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक देवास की 20 शाखाएँ जिले में कार्यरत है। ये शाखाएँ कृषि ऋण वितरण का कार्य जिले की 212 सहकारी समितियों के द्वारा करती है। यह बैंक कृषकों को कृषि ऋण, कृषि साख समितियों के माध्यम से प्रदाय करता है। जिले में कुल कृषक परिवारों की संख्या 199256 हैं तथा बैंक से संबद्ध 212 कृषि सहकारी संस्थाओं की संख्या 189197 है, जो कृषक परिवार का 94.95 प्रतिशत है।

देवास जिले में सहकारिता का विकास :

देश में सहकारिता आन्दोलन का प्रारम्भ 1904 में हुआ। इसके पश्चात् ही भारत के समस्त राज्यों की सरकारों ने इस ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। देवास जिले में सहकारिता का शुभारंभ 1918 से हुआ जब को–ऑपरेटिव बैंक का पंजीयन एक सहकारी समिति के रूप में किया गया। वर्ष 1918–19 में जिले परगनों तथा ग्रामों मे सकारी साख समितियों का निर्माण होने लगा। सन् 1979 में जिले में सहकारी बैंक की स्थापना की गई एवं जिले के विभिन्न ग्रामों में प्राथमिक सहकारी साख समितियों का निर्माण भी किया गया। सहकारी साख संस्थाओं की रचना त्रिस्तरीय हैं। गाँव स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियाँ, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा राज्य स्तर पर राज्य या शीर्ष सहकारी बैंक होते हैं, प्राथमिक सहकारी समितियाँ गाँव स्तर पर कृषकों को सदस्य बनाकर उन्हें ऋण प्रदान करती है, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी कृषि व ग्रामीण बैंक होते है, केन्द्रीय सहकारी बैंक, कृषकों को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण खाद, बीज, कीटनाषक, औषधियाँ आदि खरीदने के लिए ऋण प्रदान करते हैं, जबकि जिला सहकारी कृषि व ग्रामीण बैंक कृषकों की भूमि गिरवी रखकर उन्हें ट्रेक्टर, थ्रेशर, मोटर पंप आदि खरीदने के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते है। राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंकों को इस उद्देश्य से ऋण प्रदान करते हैं, कि वे इन ऋणों को कृषकों तक पहुँचा सके।

वर्ष 1980–81 में देवास जिलें में सहकारी साख समितियों की संख्या काफी कम थी, जो वर्ष 2014–15 में 212 हो गई है। देवास जिले में प्राथमिक साख समितियाँ लगभग सभी गाँवों में अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन साख उपलब्ध करा रही है, इन समितियों का प्रमुख कार्य कृषि ऋण का नगद तथा वस्तुओं के रूप में ऋण वितरण करना है। कृषि ऋण में नकद ऋण राशि 75 प्रतिशत तथा शेष 25 प्रतिशत राशि वस्तु के रूप में दी जाती है, कृषि विकास हेतु कृषकों को दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान किया जाता है, जिला सहकारी कृषि व ग्रामीण बैंक द्वारा कृषकों को कृषि विकास की आवश्यकताओं यथा–पंपसेट क्रय, ट्रेक्टर, मशीनरी क्रय की व्यवस्था, भूमि समतलीकरण, कुएँ खोदना, पुराने कुओं की मरम्मत, फेन्सिंग जैसी भूमि सुधार गतिविधियों के लिए कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। इस प्रकार देवास जिले में वर्तमान में 142 व्यापारिक बैंक, 20 केन्द्रीय सहकारी बैंक व 10 जिला सहकारी कृषि व ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं।

सुझाव :

(1) जिले के समस्त भागों में संतुलित वित्तीय व्यवस्था हेतु बैंकिंग संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे कृषकों को ऋण उपलब्धता में कठिनाई न हो। (2) कृषकों को उत्पादनों का उचित मूल्य दिलाने के लिए तथा उत्पादनोत्तर पर होने वाली अनावश्यक क्षति को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उचित भण्डारण एवं वितरण की व्यवस्था होनी चाहिए। (3) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को समय–समय पर कृषि वित्त योजनाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सम्पन्न कराना चाहिए, जिससे कृषि वैज्ञानिकों एवं ऋण के उपयोग के अनुभवों एवं उनके अनुसंधानों को कृषकों तक पहुँचाया जा सकें। (4) जिले की समस्त वित्तीय संस्थाओं द्वारा समय–समय पर कृषकों हेतु विभिन्न संचालित योजनाओं का ग्रामीण स्तर पर प्रसार करना चाहिए, जिससे ग्रामीण कृषकों को विभिन्न वित्तीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके एवं इसका उचित ढंग से उपयोग किया जा सकें। (5) जिले के समस्त विकासखण्डवार वित्तीय संस्थाओं द्वारा कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए तथा प्रतिवर्ष कृषि विकास के लक्ष्य एवं पूर्ति की समीक्षा की जानी चाहिए।

संदर्भ :

(1) माथुर, डॉ.बी.एस. (1994) : सहकारिता देश–विदेश में, साहित्य भवन, आगरा। (2) मिश्रा, डॉ.जयप्रकाश (2004) : कृषि अर्थशास्त्र। (3) अग्रवाल, एन.एल. (1990) : भारतीय कृषि का अर्थशास्त्र, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर। (4) दत्त एवं महाजन (2012) : भारतीय अर्थव्यवस्था, 49 वाँ संस्करण, एस.चन्द एण्ड कम्पनी लिमि., नई दिल्ली। (5) जिला सांख्यिकीय पुस्तिका 2011–2014, जिला सांख्यिकीय कार्यालय, देवास। (6) 'वार्षिक प्रतिवेदन', जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, देवास।

❁ ❁

Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Commerce
Research Link - 159, Vol - XVI (4), June - 2017, Page No. 116-117
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

नोटबंदी और भारतीय अर्थव्यवस्था : एक अध्ययन

प्रस्तुत शोधपत्र, नोटबंदी और भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर लिखा गया है। नोटबंदी का फैसला क्रांतिकारी है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद को मजबूत करने के साथ ही साथ देश को एक नई दिशा देगा। सरकार का काले धन पर अंकुश लगाने के लिए यह एक अभूतपूर्व कदम है। इसके दूरगामी परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या होंगे, ये अनुमान लगाना अभी मुश्किल है। इसका प्रभाव कुछ समय बाद ही पता लगेगा, लेकिन कुछ उद्योगपति और आर्थिक विशेषज्ञ जहाँ इसे एक ओर देश के व्यापक हित के लिए सही मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ समय में नीचे आएगी। बहरहाल नोटबंदी के फैसले का उद्देश्य मात्र कालेधन के चलन को समाप्त करना है।

डॉ.कृष्णा भूरिया* एवं डॉ.विजय डावर**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 नवम्बर 2016 को अपने सम्बोधन में देश की अर्थव्यवस्था में कालेधन पर नियंत्रण जाली नोटों को रोकने तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के परिप्रेक्ष्य में एक साहसिक आर्थिक फैसला घोषित किया है कि वर्तमान में जारी 500 व 1000 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं है। इसका आशय है कि ये मुद्राएँ कानूनी रूप से अमान्य होगी। यह फैसला देश की अर्थव्यवस्था को कालेधन से मुक्त करने के परिप्रेक्ष्य में सर्जिकल स्ट्राईक की तरह माना जा सकता है। निःसन्देह कालाधन देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी आर्थिक व सामाजिक बुराई बना हुआ है। कालाधन अभिशाप के तौर पर वर्षों से भारतीय वित्तीय बाजारों को अपना शिकार बना रहा है। फिलहाल देश में कितना कालाधन है, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, किन्तु नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाईनेशियल मैनेजमेंट की 2012 की रिर्पोट के अनुसार भारत में लगभग 30 लाख करोड़ रूपये का कालाधन है।

यहाँ यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जिन देशों में कालाधन बढ़ता जाता है, उन देशों की विकास दर तेजी से नहीं बढ़ पाती है, इसलिए सरकार ने नोटबंदी करके कालेधन पर अंकुश लगाने का एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। चूंकि इस फैसले से आम लोगों को कुछ दिनों तक परेशानी तो हुई, साथ ही बैंकिंग व्यवस्था को सामान्य बनने में कुछ वक्त लगा, लेकिन देश में एक ऐसी शुरूआत हुई है, जिसे अब तक असंभव माना जाता था। निश्चित रूप से सरकार के इस कदम से भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत तो होगी ही, साथ ही उसे नई दिशा भी मिलेगी।

देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए एवं कालाधन भ्रष्टाचार नकली नोट और आंतकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगान के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 8 नवम्बर 2016 को साहसिक व ऐतिहासिक फैसला लिया। विमुद्रीकरण का फैसला भारत ने नकदी रहित अर्थव्यवस्था एवं नकली भारतीय मुद्रा का प्रचलन को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया है।

भारत में कालेधन की अर्थव्यवस्था देश के लिए सबसे बड़ी आर्थिक व सामाजिक बुराई बना हुआ है। कालाधन देश के विकास के अवसरों को समाप्त करता है चूंकि भारत देश इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा विकास दर हासिल करने वाले देशों में शामिल है। अतः नोटबंदी का फैसला निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता को बढाने के साथ ही देश के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में वृद्धि करेगा।

यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि जिन देशों में कालाधन बढ़ता है, उन देशों में विकास दर तेजी से नहीं बढ़ पाती है, चूंकि हमारा देश इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा विकास दर वाला देश है और देश में विदेशी निवेश भी बढ़ता जा रहा है, ऐसे में नोट बंदी का फैसला कालेधन पर लगाम लगाने के साथ ही देश के विकास को नई गति भी दे सकता है। भारत में इस समय तक 500 रूपये के लगभग 1650 करोड़ नोट चलन में है, जिनका मूल्य 7.8 लाख करोड़ रूपये है, अर्थात् कुल सरकारी खजाने का 47.85 प्रतिशत। इसी प्रकार 1000 रूपयें के लगभग 670 करोड़ नोट चलन में है, जो सरकारी खजाने का 38.54 प्रतिशत है। नोट बंदी के बाद दोनों प्रकार के नोटो को मिलाकर 14.95 लाख करोड़ रूपये तत्काल प्रभाव से चलन से बाहर हो जाएंगे।

बेशक इस फैसले से आम लोगों को कुछ परेशानी होगी कुछ दिनों तक आम लेन–देन में अफरा तफरी भी रहेगी। बैंकिंग व्यवस्था को दोबारा सामान्य बनने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन देश में एक ऐसी शुरूआत हुई है, जिसे अब तक असंभव माना

**सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग), बी.एल.पी. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू, जिला-इन्दौर (मध्यप्रदेश)*
***एसोसिएट प्राध्यापक, डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, इन्दौर (मध्यप्रदेश)*

जाता था। इस साहस के लिए सरकार प्रशंसा की पात्र है।

नोट बंदी का इतिहास :

भारत में नोटबंदी का निर्णय पूर्व में भी 1946 में ब्रिटिश सरकार ने काली कमाई करने वालों के खिलाफ कदम उठाते हुए 500, 1000 और 10000 के नोटों पर रोक लगा दी थी। पुनः 1978 को मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने जालसाजी व कालाधन पर लगाम लगाने के लिए 500, 1000 और 10000 के नोट रद्द कर दिए थे।

नोट बंदी का प्रभाव :

(1) नोट बंदी से देश के आर्थिक विकास की रफ्तार और तेजी से बढ़ेगी। 1000 व 500 रूपये के नोटों पर पाबंदी के बाद नई करेंसी अर्थव्यवस्था की कमियों को भरेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी।

(2) नोट बंदी के प्रभाव से रियल ईस्टेट की कीमतें, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ आम लोगों की पहुँच मे आएगी।

(3) बैंकों में जिस तरह से पैसा जमा हो रहा है, उससे गरीबों और मध्यमवर्गो के लिए नए अवसर पैदा हो सकेंगे।

(4) 500 व 2000 के नोटों की सीरिज में सिक्योरिटी फीचर ज्यादा है, जिससे बड़ी मात्रा में होने वाले नकली नोटों का चलन बंद होगा।

(5) देश–विरोधी गतिविधियों, हथियारो की तस्करी, जासूसी और आंतकवादियों को मिलने वाली आर्थिक मदद बंद होगी।

(6) हवाला करोबार से टैक्स चोरी ज्यादा होती है। नोटबंदी से इस अवैध कारोबार पर लगाम लगेगी।

(7) चुनाव में बड़े पैमाने पर ब्लैकमनी खर्च की जाती है। नोटबंदी से राजनीति और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।

(8) कमर्शियल बैंकों में तात्कालिक रूप से डिपॉजिट बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास बैंकों में नकद अनुपात बढ़ेगा, इस रकम का प्रयोग विभिन्न आर्थिक सुधारों की फंडिंग में या फिर सरकारी कर्ज की रकम में कटौती कर सकते हैं।

(9) नोट बंदी के बाद देश में तेजी से ई–बैंकिंग का चलन बढ़ा है, जिससे डिजिटल पेमेंट आगामी वर्षो में कैश के बराबर होगा।

आगामी चुनौतियाँ :

(1) पुरानी मुद्रा को नई कुछ लोग तयशुदा समय तक नोट नहीं बदल पाएगें, जिससे तात्कालिक रूप से तो बाजार में धन की कमी होगी, जिसके कारण आर्थिक तंगी होने की सम्भावना होगी।

(2) भारत में नकद पर ज्यादा कामकाज होता है। नोटबंदी की वजह से उपभोक्ता खरीददारी कम करेगा, जिससे दुकानदारों के पास माल जमा हो जाएगा, उन पर दबाव होगा कि स्टॉक को डंप करे इससे कीमत नीचे जाएगी और उत्पादन पर असर होगा।

(3) छोटे और मध्यम उद्योग बुरी तरह प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके लिए किसी की तरह का विनिमय नकद में होता है कृषि में मांग और आपूर्ति का सारा खेल नकद पर आधारित है और यह क्षेत्र व्यापक पैमाने पर प्रभावित होगा।

(4) दिहाड़ी मजदूर, फुटकर विक्रेता और छोटे दुकानदार गरीबी में आ जाएंगें, इनमें से ज्यादातर के पास बैंक खाते नहीं है और वे केवल नकद पर जीते हैं, इनमें से कई बिजनेस भी बंद हो जाएंगें।

(5) सरकार की इकोनॉमिक ग्रोथ प्लान को बड़ा झटका लगना तय है। सरकार के इस कदम का इंडस्ट्री, बिजनेस और मैन्यूफैक्चरिंग पर गंभीर परिणाम होगा।

(6) नोट बंदी से नकद पूँजी साफ हो जाएगी, जिसका असर व्यापार, व्यवसाय पर होगा।

(7) अर्थव्यवस्था में पैदा हुई इस हलचल को सामान्य करने में सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जितना ज्यादा समय लगेगा, उतना अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों पर बुरा असर पड़ेगा, खासकर असंगठित क्षेत्रों पर।

(8) नोट बंदी कुप्रबंध का प्रतीक बनकर सामने आया है, जिससे लोगों का बैंकिंग प्रणाली से विश्वास उठा है।

सुझाव :

(1) जो नोट जारी किए गए हैं, उनके सन्दर्भ में यह व्यवस्था हो कि वे एक निश्चित समय तक ही प्रचलन में रहेगें।

(2) टैक्स प्रणाली को मजबूत बनाकर भी काले धन पर अंकुश लगया जा सकता है। टैक्स प्रणाली ऐसी होनी चाहिए, जिससे लोग स्वतः टैक्स देने के लिए प्रोत्साहित हो, इसके लिए टैक्स की दरें नीचे लाने की आवश्यकता है।

(3) कर चोरी को अपराधिक जुर्म की श्रेणी मे रखा जाए, जिसके लिए अनिवार्य जेल की सजा का प्रावधान हो। हम ऐसी अदालत तैयार करें, जिनमे आर्थिक अपराध के मामले की सुनवाई का निपटारा जल्द हो।

(4) नकदी रहित (केशलेस) अर्थव्यवस्था के लिए ई–बैंकिंग तकनीकी को विकसित किया जा सकता है।

निष्कर्ष रूप से मोदी सरकार का यह फैसला क्रांतिवादी है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद को मजबूत करने के साथ ही उसे एक नई दिशा देगा सरकार का काले धन पर अंकुश लगाने के लिए यह एक अभूतपूर्व कदम है। इसके दूरगामी परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या होगें, अभी ये अनुमान लगाना मुश्किल है। इसका प्रभाव कुछ समय बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन कुछ उद्योगपति और आर्थिक विशेषज्ञ जहाँ इसे एक ओर देश के व्यापक हित के लिए सही मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि इसके फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था की गति आने वाले कुछ समय में नीचे आएगी। जाहिर है सरकार का उद्देश्य काले धन का चलन समाप्त करना है। इस दिशा में बड़े नोट रद्द करने का फैसला असरकारक तो होगा, लेकिन सरकार को अन्य बिन्दुओं और चुनौतियों पर भी ध्यान देना होगा, तभी सफलता हासिल होगी।

सन्दर्भ :

*(1) लाल एवं लाल : भारतीय अर्थव्यवस्था। **(2)** परीक्षा वाणी। **(3)** विजार्ड करन्ट अफेयर्स। **(4)** प्रतियोगिता दर्पण। **(5)** अरिहंत समसमायिकी। **(6)** विकीपीडिया वेबसाइड। **(7)** इन्टरनेट, समाचार पत्र–पत्रिकाएँ।*

❁ ❁

Since March 2002
An International, Registered & Referred Monthly Journal : Commerce
Research Link - 159, Vol - XVI (4), June - 2017, Page No. 118-120
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी योजना का छत्तीसगढ़ के राजनांदगाँव जिले की जनांकिय स्थिति के संदर्भ में एक विश्लेषण

प्रस्तुत शोधपत्र, महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी योजना का छत्तीसगढ़ के राजनांदगाँव जिले की जनांकिय स्थिति के संदर्भ में विश्लेषण से सम्बंधित है। मनरेगा योजना जिस उद्देश्य को लेकर बनाई गई थी, उसमें यह कार्यरत है। यह योजना निरंतर ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रारें में पलायन और बेरोजगारी जैसी मुख्य समस्या में कमी आई है। आंकड़ों से प्राप्त जानकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष यह योजना रोजगार की मांग किए गए ग्रामीणों में से औसतन अशिक्षित एवं शिक्षित लगभग 90 प्रतिशत को रोजगार उपलब्ध करा रही है, जिसमें पुरुष, महिला एवं विकलांग सभी सम्मिलित हैं।

डॉ.जी.डी.एस.बग्गा* एवं आकाश वैष्णव**

प्रस्तावना :

"गाँव–गाँव से बना भारत"। भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। भारत एक प्राचीन तथा विशाल देश है। आजादी के पश्चात् यहाँ जनसंख्या की स्थिति विस्फोटक हो चुकी है। बढ़ती हुई जनसंख्या का सर्वाधिक नकारात्मक पहलू गरीबी दर में वृद्धि है। केन्द्र सरकार ने इस मुख्य समस्या को ध्यान में रखते हुए तथा अकुशल ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 2005 में नरेगा (राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना अधिनियम 2005) को अस्तित्व में लाया गया है, जो आज सम्पूर्ण भारत में मनरेगा को दृष्टिगोचर करना है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी अधिनियम 2005 :

भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं योग्यता को ध्यान में रखते हुए किसी कार्यक्षेत्र में व्यक्तियों को कार्य प्राप्त करने में वृहद प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप योग्य कुशल व्यक्ति उसे प्राप्त करता है और अकुशल व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करने परिवार का पलान–पोषण करने में जो आय उसे प्राप्त करनी चाहिए, वह उस कार्य में असमर्थ रहता है। वह दिन–प्रतिदिन की आय भी प्राप्त नहीं कर पाता है। परिणामस्वरूप एक अकुशल श्रम व्यक्ति गरीबी रेखा की स्थिति को प्राप्त करता है, यदि उसे कार्य प्राप्त भी होता है, तो उसे अपने निवास स्थान से दूर जा कर कार्य मजदूरी करनी पड़ती है।

इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण भारत में रोजगार की स्थिति को बेहतर बनाना, उत्पादक सम्पदा का निर्माण करना, पर्यावरण की रक्षा करना, गाँव से शहर की ओर हो रहे पलायन की प्रवृति पर अंकुश लगाना तथा सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम 2005 (नरेगा) अस्तित्व में आया। उल्लेखनीय है कि गाँधी जयंती (2 अक्टूबर 2009) के अवसर पर केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस अधिनियम को महात्मा गाँधी के नाम से जोड़ा जाए। अब नरेगा "महात्मा गाँधी राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम" के नाम से जाना जाने लगा है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण गृहस्थी के वयस्क अकुशल सदस्य को 100 दिन का शारीरिक कार्य उपलब्ध कराती है तथा निर्धारित मजदूरी दर से निर्धारित अवधि में भुगतान करती है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इस कार्य दिवस को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है।

राजनांदगाँव जिला : 26 जनवरी सन् 1973 को दुर्ग जिले के विभाजन के बाद राजनांदगाँव जिला अस्तित्व मे आया। राजनांदगाँव क्षेत्र सोमवंशियों, कल्चुरियों एवं मराठा शासकों द्वारा शासित था। राजनांदगाँव का प्रारंभिक नाम नंदग्राम था। जिला राजनांदगाँव 9 विकासखण्डों में विभक्त है– छुईखदान, खैरागढ़, डोगरगढ़, राजनांदगाँव, छुरिया, डोंगरगाँव, अम्बागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य भाग में स्थित है। जिला मुख्यालय राजनांदगाँव दक्षिण–पूर्व मध्य रेल्वे मार्ग में स्थित है।

राजनांदगाँव जिले की जनसंख्या 2001 एवं 2011 में जनगणना द्वारा उपलब्ध आकड़े :

सारणी क्र0 1 : राजनांदगाँव जिले की जनसंख्या वृद्धि ग्रामीण एवं नगरीय

कुल जनसंख्या	2001	2011	वृद्धि	वृद्धि प्रतिशत
ग्रामीण	1051577	1264621	213044	16.84
शहरी	231647	272512	40865	17.64
योग	**1283224**	**1537133**	**253909**	**19.78**

**विभागाध्यक्ष (वाणिज्य विभाग), चंदुलाल चन्द्राकर शासकीय कला व वाणिज्य महाविद्यालय, धमधा, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)*
***शोधार्थी, जयस्तंभ चौक, वार्ड क्रमांक 25, राजनांदगाँव (छत्तीसगढ़)*

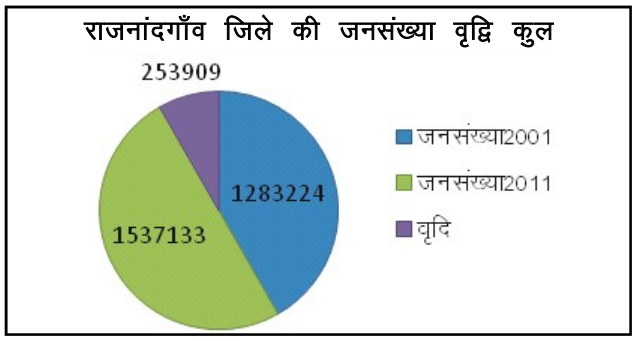

शोध का उद्देश्य :

भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मनरेगा कार्यक्रम ने अपने उकृष्ट प्रदर्शन से एक स्वच्छ चलचित्र प्रदर्शित किया है। ग्रामीणों की गरीबी को समाप्त करने के लिए, उन्हें रोजगार के अवसर निरंतर उपलब्ध कराए जा रहा है तथा नवीन कार्यक्रमों में उन्हें सम्मिलित कर पलायन और ग्रामीण बेरोजगारी पर अंकुश लगाया है, जिससे ग्रामीण जनसंख्या अपने गाँव में ही कार्य प्राप्त कर रोजगार पा रही है, साथ–ही–साथ किए गए कार्यों से गाँव में मूलभूत सुविधाओं का विकास भी हो रहा है।

शोध परिकल्पना :

ग्रामीण गरीबी जिसका मुख्य आधार ग्रामीण बेरोजगारी है। मनरेगा योजना ग्रामीणो को रोजगार उपलब्ध कराने मे सफल हुई है तथा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में मनरेगा के कार्यक्रम सर्वश्रेष्ठ होंगे। यह शोध इसी केन्द्र बिन्दु पर परिकल्पित है।

शोध प्रविधि :

इस शोध को काल्पनिकता से वास्तविकता का स्वरूप प्रदान के लिए प्राथमिक (मूल) तथा द्वितीयक संमकों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक समंकों को एकत्रित करने के लिए राजनांदगाँव जिले में इस योजना के अंतर्गत कार्यरत ग्रामीण मजदूर तथा सम्बधित विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों से सम्पर्क किया गया। शोध की आवश्यकता के आधार पर द्वितीयक संमक भी शोध में सम्मिलित हैं, जो शोध को प्रभावशाली एवं विश्वसनीय बनाते हैं।

राजनांदगाँव जिले में मनरेगा की स्थिति :

शोधकर्ता द्वारा राजनांदगाँव जिले में मनरेगा योजना के अंतर्गत जॉब कार्डधारियों द्वारा मांग किए गए रोजगार और उन्हें प्रदान किए गए रोजगारों का मूल्यात्मक अध्ययन किया गया है। यह आंकड़े 2013 से 2016 तक के, सारणी क्र. 2 में हैं।

सारणी क्र. 3

वर्ष	रोजगार की माँग	रोजगार की उपलब्धता	उपलब्धता का प्रतिशत
2013	218465	199947	91.52
2014	173304	160944	92.86
2015	218352	205293	94.01
2016	200101	186653	93.27
योग	**810222**	**752837**	**92.91**

शोधकर्ता द्वारा 2013 से 2016 तक राजनांदगाँव जिले में विकासखण्डों के आधार पर कार्य की मांग और उसकी उपलब्धता का प्रतिशत के आधार पर आकलन किया गया है, जिसमें यह पाया गया कि 2013 में मांग किए गए रोजगार पर 91.52 प्रतिशत व्यक्तियों को कार्य उपलब्ध कराया गया। 2014 में यह आंकडे 92. 86 प्रतिशत है। साथ–ही–साथ 2015 में 94.01 प्रतिशत व्यक्तियों को कार्य प्राप्त हुआ है, जो विगत वर्षों में सबसे अधिक रहा, 2016 में यह आंकड़ा 93.27 प्रतिशत है। कुल विकासखण्डों में अम्बागढ चौकी, मानपुर, मोहला, माँग और रोजगार की उपलब्धता में अन्य विकासखण्डों के आधार पर अधिक प्रभावी रहा है। यदि विगत 4 वर्षों का प्रतिशत देखा जाए तो कुल मांग 810222 में कार्य की उपलब्धता 752837 रही है, जो 92.91 प्रतिशत है।

सारणी क्रमांक 4

क्र0	विकासखण्ड	2013	2014	2015	2016
1	अम्बागढ चौकी	355	204	301	236
2	खैरागढ	246	292	438	335
3	छुईखदान	191	113	522	560
4	छुरिया	272	243	297	345
5	डोगरगढ़	220	208	246	223
6	डोगरगाँव	200	146	178	138
7	मनपुर	69	45	220	315
8	मेहला	119	81	201	198
9	राजनांदगाँव	676	640	726	580
	योग	**2348**	**1972**	**3129**	**2930**

स्त्रोत : ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय।

सारणी क्र0 2 : राजनांदगाँव जिले में परिवार की स्थिति रोजगार के संबंध में

क्र0	विकासखण्ड	वर्ष 2013		वर्ष 2014		वर्ष 2015		वर्ष 2016	
		माँग	उपलब्धता	माँग	उपलब्धता	माँग	उपलब्धता	माँग	उपलब्धता
1	अम्बागढ चौकी	19067	18045	14704	14264	18852	18242	17850	17011
2	खैरागढ	31011	28777	25849	24295	30781	28904	27582	25402
3	छुईखदान	34338	31238	23097	21987	31927	30248	28963	27326
4	छुरिया	30224	28348	26428	24765	29853	28639	29229	27885
5	डोगरगढ़	27833	25504	22765	20985	27835	25636	25901	23882
6	डोगरगाँव	18123	16087	14036	12631	19453	18267	15465	14200
7	मनपुर	16737	15837	12805	11690	16949	16047	16728	15803
8	मेहला	15324	13677	10542	9418	15948	15449	15583	14994
9	राजनांदगाँव	25808	22434	23078	20909	26754	23861	22800	20150
	योग	**218465**	**199947**	**173304**	**160944**	**218352**	**205293**	**200101**	**186653**

स्त्रोत : ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय।

मनरेगा के अंतर्गत विकलांगों के रोजगार की स्थिति :

राजनांदगाँव जिले में 2013 से 2016 तक प्रत्येक वर्ष में रोजगार की मांग किए गए व्यक्तियों को सारणी 2 में तथा विकलांगों को सारणी 4 में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें 9 विकासखण्डों में विकलांगों

द्वारा प्रत्येक वर्ष में प्राप्त किए गए रोजगार का विवरण दिया गया है।

मनरेगा योजना में विकलांगों को भी प्रत्येक वर्ष कार्य उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका विवरण सारणी में दिखाई देता है। 2013 में कुल 2348, 2014 में 1972, 2015 में 3129, तथा 2016 में 2930 व्यक्तियों को रोजगार की प्राप्ति हुई है। कुल 2013 से 2016 तक 10379 विकलांगों को रोजगार दिया गया है।

मनरेगा में अकुशल श्रम का उपयोग किया जाता है, जिसमें महिला, पुरूष, विकलांग एवं वृद्ध शामिल है। वर्ष 2013 से 2016 तक कुल रोजगार में विकलांगों को प्रत्येक वर्ष प्राप्त रोजगार का सारणीयन किया गया है।

निष्कर्ष :

मनरेगा योजना जिस उद्देश्य को लेकर बनाई गई थी, उसमें यह सकुशल कार्यरत है। यह योजना निरंतर ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन और बेरोजगारी जैसी मुख्य समस्या के प्रतिशत में कमी आई है। आकड़ों से प्राप्त जानकारियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष यह योजना रोजगार की माँग किए गए ग्रामीणों में से औसतन अशिक्षित एवं शिक्षित लगभग 90 प्रतिशत को रोजगार उपलब्ध करा रही है, जिसमें पुरूष, महिला एवं विकलांग सम्मिलित हैं।

संदर्भ :

(1) *Gupta, K.R. : Economics of Development and Planning, Vol.19788126910106.*

(2) *Gupta, K.R. : Economic Growth Models, Vol.19788126913381//2005.*

(3) *Keynes, John Maynard (2006) : The General Theory of Employment, Interest and Money.*

(4) *Rampal, J.N. : India Rising (But who will make it Huppen?), Vol.1 -978812480269/..2010.*

(5) *तेन्दुलकर समिति की गरीबी पर रिपोर्ट–2009.*

(6) *छत्तीसगढ़ जनसंख्या रिपोर्ट–2011.*

(7) *दिशा एवं निर्देशन रिपोर्ट, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 2010.*

(8) *कुरूक्षेत्र, मासिक पत्रिका, रोजगार स्थिति, नवंबर 2012.*

(9) *इंडिया टुडे, भारत की योजना मनरेगा, दिसंबर 2012.*

(10) *योजना आयोग की गरीबी पर रिपोर्ट–2010.*

Websites :

(1) *www.google.com*

(2) *www.gov.in.com*

(3) *www.zprajnandgaon.gov.in*

❁ ❁